भारत सरकार

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न संख्या: 2905.**

**बुधवार, 21 मार्च, 2018 को उत्तर दिए जाने के लिए**

**आन्ध्र प्रदेश में तटीय रोजगार क्षेत्र (सी.ई.जेड.)**

**अता.प्र.सं. 2905. श्री वि. विजयसाई रेड्डीः**

**क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः**

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार 30,000 एकड़ भूमि का अधिग्रहण करके आन्ध्र प्रदेश के कुरनूल जिले में तटीय रोजगार क्षेत्र (सी.ई.जेड.) की स्थापना करने जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या जैसा कि नई राजधानी के मामले में हुआ है इस प्रयोजन के लिए भी किसी कृषि भूमि के अधिग्रहण का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार से उक्त सी.ई.जेड. में औद्योगिक इकाइयों की स्थापना करने वाले उद्यमियों को रियायत देने की मांग की है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में मंत्रालय द्वारा अब तक क्या कार्रवाई की गई है?

**उत्‍तर**

**वाणिज्‍य और उद्योग मंत्रालय में राज्‍य मंत्री**

**(श्री सी.आर. चौधरी)**

**(क):** जी, नहीं। आंध्र प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि आंध्र प्रदेश के कुरनूल जिले में कोई तटीय रोजगार जोन स्थापित किया जाना प्रस्तावित नहीं है।

**(ख) से (च):** प्रश्न नहीं उठता।

\*\*\*\*\*\*\*